मु.नं.–65 / 2021 GCMS ID-2021/128 ता.रजु–09.09.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेन्द्र कुमार अवस्थी (व्याख्याता) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–06.10.2021

1. उभय पक्षकारान उपस्थित।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर विधानसभा चुनाव 2018 में प्रार्थी द्वारा ए.एल.एम.टी. के रूप में किये गये कार्य के यात्रा भत्ता भुगतान हेतु पांच बिल बनाकर प्रेषित किये गये थे जिनके संदर्भ में (1) आप द्वारा पांचों बिलों में पृथक–पृथक कितनी राशि पास की या नहीं की, इस वास्ते पारित पांचों बिलों की प्रमाणित प्रति (2) प्रत्येक बिल की कितनी कुल राशि में से आपने कितनी पारित की तथा किन–किन के पैसे काटे, उसका विवरण (3) आपने कितनी–कितनी राशि कौन–कौन से एकाउण्ट में किस शाखा में तथा किस दिनांक को जमा कराई, उसका विवरण, आदि कुल 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनको पत्र क्रमांक–384 दिनांक 03.06.2021 द्वारा 6 पृष्ठीय सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।
4. अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि उनको, उनके द्वारा प्रेषित बिलों की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिन्हें उपलब्ध करवाया जावे।
5. प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि उनके कार्यालय में जो बिल उपलब्ध हैं, उनकी प्रति अभी उपलब्ध करवा दी जावेगी।
6. प्रत्यर्थी द्वारा इसके उपरांत पत्रांक 660 दिनांक 06.10.2021 द्वारा 12 पृष्ठीय सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त सूचना में कोई आपत्ति दर्ज नहीं होना, अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये हैं।
7. इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त सूचना पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया जाकर अपने हस्ताक्षर किये हैं। इसलिये हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली